

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश

जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 4.44 करोड़ जनता निवास करती है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को गुणवत्तापरक एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले 131 शहरों/कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जा रहा है तथा 50,000 से कम शहरी जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है। इसके अनुसार शहरों/कस्बों में प्रत्येक 50,000 की शहरी जनसंख्या पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5,00,000 से अधिक शहरी जनसंख्या वाले शहरों में प्रत्येक 2,50,000 की शहरी आबादी पर एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु दिशा-निर्देश

प्रदेश के चिन्हित 131 शहरों/कस्बों के सापेक्ष 128 शहरों/कस्बों (कानपुर देहात, श्रावस्ती एवं अमेठी को छोड़कर) में कुल 593 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इन 593 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टेट बजट से संचालित 147 सरकारी नगरीय स्वास्थ्य इकाईयां (134 अरबन हेल्थ पोस्ट तथा 13 नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र), एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया गया है, 214 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापित किये गये हैं इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद मीरजापुर हेतु स्वीकृत 01 नवीन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्थापित किया जाना है।

“जनपद मीरजापुर हेतु 01 नवीन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, परन्तु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु मानव संसाधन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में राज्य स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे। राज्य स्तर से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही जनपद मीरजापुर के द्वारा 01 नवीन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।”

जनपदों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वर्तमान में 70 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवनों में संचालित है तथा 523 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को किराये के भवनों में संचालित किया जाना है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जनपदवार फॉट निम्नवत् है –

District Code	Name of Districts	Name of City	Health Facilities					
			Total UPHCs	Urban Health Posts upgraded as U-PHCs		New UPHCs	Govt/Rented UPHCs	
				Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved	No of Govt. Building	No of Rented Building
1	2	3	4	5	6	7	8	9
901	Agra	Agra	30	15	9	6	1	29
902	Aligarh	Aligarh	17	7	7	3	1	16
		Atrauli	1	0	0	1	1	0
903	Prayagraj	Prayagraj	23	11	7	5	3	20
904	Ambedkarnagar	Ambedkarnagar	2	0	1	1	0	2
		Tanda including Jalalpur	2	0	2	0	0	2
905	Amethi	Amethi	0	0	0	0	0	0
906	Amroha (J.P Nagar)	Amroha	4	0	2	2	0	4
		Hasanpur	1	0	1	0	1	0
		Gajraula	1	0	0	1	0	1
907	Auraiya	Auraiya	1	0	1	0	0	1
908	Azamgarh	Azamgarh	2	0	1	1	1	1
		Mubarakpur	1	0	1	0	0	1
909	Baghpat	Baghpat Baraut	2	0	1	1	0	2
		Baghpat	1	0	1	0	0	1
910	Bahraich	Bahraich	2	0	1	1	1	1
911	Ballia	Ballia	2	0	1	1	0	2
912	Balrampur	Balrampur	1	0	1	0	0	1
913	Banda	Banda	2	0	1	1	0	2
914	Barabanki	Nawabganj	1	0	1	0	0	1
915	Bareilly	Bareilly	18	2	5	11	1	17
		Faridpur	1	0	0	1	0	1
		Baheri	1	0	0	1	0	1
		Aonla	1	0	0	1	0	1
916	Basti	Basti	2	0	2	0	0	2
917	Bijnor	Nagina	1	0	0	1	0	1
		Bijnor	2	0	1	1	0	2
		Najibabad	1	0	0	1	0	1
		Chandpur	1	0	0	1	0	1
		Sherkot	1	0	0	1	0	1
		Kiratpur	1	0	0	1	0	1
		Seohara	1	0	0	1	0	1
		Dhampur	1	0	0	1	0	1
918	Budaun	Budaun	3	0	3	0	0	3
		Sahaswan	1	0	0	1	0	1
		Ujhani	1	0	0	1	0	1
919	Bulandshahr	Bulandshahr	4	0	4	0	0	4
		Khurja	1	0	0	1	0	1
		Sikandrabad	1	0	0	1	0	1

District Code	Name of Districts	Name of City	Health Facilities					
			Total UPHCs	Urban Health Posts upgraded as U-PHCs		New UPHCs	Govt/Rented UPHCs	
				Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved	No of Govt. Building	No of Rented Building
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jahangirabad	1	0	0	1	0	1
		Gulaothi	1	0	0	1	0	1
920	Chandauli	Mughalsarai	2	0	0	2	0	2
921	Chitrakoot	Chitrakoot	1	0	1	0	1	0
922	Deoria	Deoria	3	0	3	0	0	3
923	Etah	Etah	2	0	1	1	1	1
924	Etawah	Etawah	6	0	6	0	0	6
925	Ayodhya	Ayodhya City	5	0	4	1	1	4
		Ayodhya Dham	1	0	1	0	0	1
926	Farrukhabad	Farrukhabad	4	0	2	2	0	4
927	Fatehpur	Fatehpur	3	0	1	2	0	3
928	Firozabad	Firozabad	9	2	4	3	2	7
		Shikohabad	2	0	0	2	0	2
		Tundla	1	0	0	1	0	1
929	GB Nagar	Noida	12	0	1	11	3	9
		Greater Noida	2	0	0	2	0	2
		Dadri	1	0	0	1	0	1
930	Ghaziabad	Ghaziabad	33	9	8	16	1	32
		Loni	9	0	0	9	0	9
		Khora	4	0	2	2	0	4
		Modinagar	3	0	0	3	0	3
		Muradnagar	1	0	0	1	0	1
931	Ghazipur	Ghazipur	2	0	2	0	0	2
932	Gonda	Gonda	2	0	2	0	0	2
933	Gorakhpur	Gorakhpur	23	15	8	0	1	22
934	Hamirpur	Rath	2	0	1	1	1	1
935	Hapur	Hapur	2	0	0	2	0	2
		Pilkhuwa	1	0	0	1	0	1
936	Hardoi	Hardoi	3	0	1	2	0	3
		Shahabad	1	0	0	1	0	1
		Sandila	1	0	0	1	0	1
937	Hathras	Hathras	2	0	1	1	1	1
938	Jalaun	Orai	3	0	2	1	0	3
		Jalaun	1	0	0	1	0	1
		Konch	1	0	0	1	0	1
		Kalpi	1	0	0	1	0	1
939	Jaunpur	Jaunpur	3	0	1	2	0	3
940	Jhansi	Jhansi	12	9	3	0	1	11
		Mauranipur	1	0	0	1	0	1
941	Kannauj	Kannauj	2	0	2	0	0	2

District Code	Name of Districts	Name of City	Health Facilities					
			Total UPHCs	Urban Health Posts upgraded as U-PHCs		New UPHCs	Govt/Rented UPHCs	
				Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved	No of Govt. Building	No of Rented Building
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Chhibramau	1	0	1	0	0	1
942	Kanpur Dehat	Kanpur Dehat	0	0	0	0	0	0
943	Kanpur Nagar	Kanpur	50	11	13	26	5	45
944	Kasganj	Kasganj	2	0	1	1	1	1
945	Kaushambi	Manjhanpur	1	0	1	0	0	1
946	Kushinagar	Padrauna	1	0	1	0	0	1
947	Kheri	Lakhimpur	3	0	2	1	0	3
		Gola Gokaran Nath	1	0	0	1	0	1
948	Lalitpur	Lalitpur	2	0	1	1	0	2
949	Lucknow	Lucknow	52	11	26	15	24	28
950	Maharajganj	Maharajganj	1	0	1	0	0	1
951	Mahoba	Mahoba	2	0	2	0	0	2
952	Mainpuri	Mainpuri	3	0	3	0	1	2
953	Mathura	Mathura	6	0	4	2	1	5
		Vrindavan	1	0	0	1	0	1
		Kosi Kalan	1	0	0	1	0	1
954	Mau	Maunath Bhanjan	4	0	2	2	0	4
955	Meerut	Meerut	24	8	11	5	4	20
		Mawana	1	0	0	1	0	1
		Sardhana	1	0	0	1	0	1
956	Mirzapur	Mirzapur	4	0	1	3	0	4
957	Moradabad	Moradabad	26	13	13	0	1	25
958	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	4	0	2	2	0	4
		Khatauli	1	0	0	1	0	1
		Budhana	1	0	0	1	1	0
959	Pilibhit	Pilibhit	2	0	1	1	0	2
		Bisalpur	1	0	0	1	0	1
960	Pratapgarh	Bela Pratapgarh	1	0	1	0	0	1
961	Rae Bareli	Rae Bareli	3	0	1	2	0	3
962	Rampur	Rampur	6	3	1	2	1	5
963	Saharanpur	Saharanpur	17	9	8	0	6	11
		Deoband	1	0	0	1	0	1
		Gangoh	1	0	0	1	0	1
964	Sambhal	Chandausi	2	0	0	2	0	2
		Sambhal	2	0	0	2	0	2
965	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	2	0	2	0	0	2
966	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	Bhadohi	1	0	1	0	0	1
967	Shahjahanpur	Shahjahanpur	10	7	3	0	0	10
		Tilhar	1	0	0	1	0	1

District Code	Name of Districts	Name of City	Health Facilities					
			Total UPHCs	Urban Health Posts upgraded as U-PHCs		New UPHCs	Govt/Rented UPHCs	
				Urban Health Posts by State Budget	Urban Health Posts shifted from Urban RCH	New UPHCs approved	No of Govt. Building	No of Rented Building
1	2	3	4	5	6	7	8	9
968	Shamli	Shamli	2	0	0	2	0	2
		Kairana	1	0	0	1	0	1
969	Shrawasti	Shrawasti	0	0	0	0	0	0
970	Sidharthnagar	Siddharthnagar	1	0	1	0	0	1
971	Sitapur	Sitapur	3	0	1	2	0	3
		Laharpur	1	0	0	1	0	1
		Biswan	1	0	0	1	0	1
		Mahmudabad	1	0	0	1	0	1
972	Sonabhadra	Sonbhadra	1	0	1	0	1	0
973	Sultanpur	Sultanpur	2	0	2	0	0	2
974	Unnao	Unnao	3	0	1	2	1	2
		Gangaghat	2	0	2	0	0	2
975	Varanasi	Varanasi	24	15	9	0	0	24
TOTAL			593	147	231	215	70	523

भवन का चिन्हीकरण

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवनों के चिन्हीकरण के लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है:

1. भवन चिन्हीत करते समय यह ध्यान दिया जाय कि नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा लगभग 50,000 की शहरी जनसंख्या स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित की जा सके। यह केन्द्र मलिन बस्तियों में या उनके करीब हो जिससे आस-पास में रहने वाली गरीब जनता को उसके घर के समीप स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें।
2. राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल आवश्यक है:-

क्रमांक	सुविधा	आवश्यक न्यूनतम कारपेट एरिया (स्क्वायर फिट में)
1	ओपीडी रुम	80
2	पैथोलॉजी लैब	48
3	औषधि भण्डार एवं वितरण	36
4	टीकाकरण/पोक0 काउन्सिलिंग	64
5	प्रसव कक्ष	120
6	स्टाफ नर्स कक्ष, वेटिंग रुम व पंजीकरण	150
7	शौचालय 02 नग	60
8	स्टरलाइजेशन एवं माइनर ओटी	36
9	वार्ड कम से कम 02 बेड	120
योग		714 वर्ग फुट अर्थात 66.48 वर्ग मीटर

5

नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु दिशा-निर्देश वर्ष 2019-20

CSM

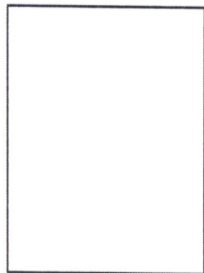


कारपेट एरिया का न्यूनतम 25 से 30 प्रतिशत अंश दीवार एवं सरकुलेशन का होता है। इस प्रकार भवन का कुल क्षेत्रफल 964 वर्ग फुट अर्थात 89.58 वर्ग मीटर आयेगा।

3. भवन में विद्युत कनेक्शन हो तथा बिजली एवं पानी की नियमित आपूर्ति हो। मरीजों हेतु एम्बूलेन्स आदि वाहनों के आने-जाने का पर्याप्त रास्ता हो।
4. किराये के भवनों हेतु अनुबंध पत्र भरा जाना है जिसका प्रारूप नीचे दिया गया है। प्रत्येक किराये के भवन का एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाना है। प्रत्येक किराये के भवन हेतु FMR Code U.5.1.4.1 में अधिकतम सीमा रू0 17325/- प्रति माह प्रति भवन की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी0एम0 सर्किल रेट या रू0 17325/- जो कम हो देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि जनपद के किसी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया एरिया क्षेत्रफल एवं डी0एम0 सर्किल रेट के अनुसार रू0 17325/- से अधिक हो तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त भवन को किराये पर लेते हुए जनपद को किराये मद में कुल आवंटित धनराशि में से प्रतिमाह बचत धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है।
5. अधिकतम नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है, यदि भवन में पर्याप्त स्थान नहीं है तो उनको आवश्यकतानुसार मानकानुसार रिलोकेट किया जा सकता है।
6. ऐसी नगरीय स्वास्थ्य इकाइयाँ जो कि सरकारी भवनों में संचालित है एवं उनमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है उन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को किराये के भवन में संचालित किये जाने हेतु प्रस्ताव वर्ष 2020-21 की पी0आई0पी0 में प्रेषित किया जाय तथा भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त ही नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को किराये के भवन में स्थानांतरित किया जाय।

7. किराये के भवन हेतु अनुबंध का प्रारूप निम्नवत् है—

किराया अनुबन्ध-पत्र



फोटो प्रथम पक्ष (गृह स्वामी)



फोटो द्वितीय पक्ष (संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति)
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

अनुबन्ध संख्या.....

दिनांक.....

भवन का विवरण: भवन संख्या....., मोहल्ला....., वार्ड..... क्षेत्र (Land Mark सहित)..... तहसील..... जिला.....

भवन का क्षेत्रफल:..... वर्गफीट/वर्गमीटर

भवन की चौहद्दी: (पूर्व..... पश्चिम..... उत्तर..... दक्षिण.....),
कुल कमरे....., शौचालय....., बाथरूम..... अनाच्छादित स्थान का क्षेत्रफल.....
खुला ग्राउण्ड का क्षेत्रफल..... ।

प्रथम पक्ष: भवन स्वामी/भवन स्वामिनी का नाम..... पूरा पता.....
..... तहसील..... जनपद.....

द्वितीय पक्ष: जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति.....
जिला.....

मासिक किराया.....

वार्षिक किराया.....

प्रथम पक्ष: भवन स्वामी/भवन स्वामिनी का नाम.....पूरा पता.....
.....तहसील.....
जनपद.....

एवं

द्वितीय पक्ष: जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति.....
पता..... तहसील.....
..... जिला.....

हम उभय पक्ष एतद् द्वारा परस्पर वचन देते, विश्वास दिलाते और प्रतिज्ञा करते हैं कि वह और उनके वारिसन नीचे लिखे प्रतिबन्धों एवं शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगे और पालन करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य रहेंगे:-

1. यह कि प्रथम पक्ष मकान संख्या..... तहसील..... जनपद..... राज्य का स्वामी/स्वामिनी है तथा प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त मकान का प्रथम तल/द्वितीय तल का दिनांक..... से दिनांक..... तक कुल माह के लिए द्वितीय पक्ष को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करने हेतु किराये पर दिये जाने हेतु सहमत है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भवन के किराये के रूप में रू0..... प्रति वर्ग फीट की दर से रू0..... प्रति माह अदा किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भवन का किराया प्रथम पक्ष के द्वारा भवन किराये का बिल प्रस्तुत किये जाने के प्रत्येक 10 कार्यदिवसों में भुगतान कर देगा। नगद भुगतान किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगा। द्वितीय पक्ष किराया अदा करने के उपरान्त प्रत्येक माह किराये की रसीद प्रथम पक्ष से प्राप्त करेगा। किराये की रसीद प्रथम पक्ष देने हेतु सहमत होगा तथा उसको द्वितीय पक्ष अपने रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखेगा।
4. यह कि भवन में पानी, शौचालय, बाथरूम, विद्युत वायरिंग एवं फिटिंग की व्यवस्था प्रथम पक्ष (भवन स्वामी) द्वारा की जायेगी।
5. यह कि उक्त किराये के भवन में जो भी बिजली का खर्च होगा उसका बिल द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा। चिकित्सा उपकरण एवं प्रचार-प्रसार सामग्री हेतु बिजली मीटर की लोड क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर नये कनेक्शन द्वितीय पक्ष के नाम होगा इसका सारा व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। इससे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा बिजली मीटर लेने हेतु प्रथम पक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु सहमत होगा।
6. यह कि भवन की पुताई, रंगाई, टूट फूट मरम्मत, प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
7. यह कि द्वितीय पक्ष किराये वाले भवन के हिस्से का रख-रखाव ठीक प्रकार से करेगा तथा आपसी सहमति से यदि द्वितीय पक्ष भवन में कोई तोड़-फोड़ या निर्माण करता है, तो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
8. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा भवन का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तथा अन्य निर्धारित टैक्स अदा किये जायेंगे।

9. यह कि प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय 03 माह का नोटिस देकर भवन खाली कराया/किया जा सकता है।
10. यह कि द्वितीय पक्ष भवन को चिकित्सालय के रूप में साज-सज्जा करने हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग कर सकेगा इससे प्रथम पक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं होगी।
11. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध पत्र की मूल प्रति रखेगा जिसके आधार पर किराया भुगतान प्रक्रिया की जायेगी।
12. यह कि अनुबन्ध..... माह के लिये है, यदि उभय पक्ष उक्त किरायेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इसे आगे जारी रखा जा सकता है।
13. यह कि यह नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भारत द्वारा पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उपमिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा योजना बन्द करने/भवन हेतु किराये बन्द करने इत्यादि की स्थिति में नोटिस देने उपरांत भवन रिक्त कर दिया जायेगा।
14. उपरोक्त के क्रम में किराये के भवन के सम्बन्ध में सभी प्रकरणों में अन्तिम अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति में निहित होगा।
15. यह कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थ (Arbitrator) जनपद के जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति होंगे।
16. यह कि यदि विवाद की स्थिति में (Arbitrator) के निर्णय से कोई पक्ष सहमत नहीं है तो जनपद..... न्यायालय में इसका क्षेत्राधिकार होगा।

लिहाजा यह किराया अनुबन्ध पत्र आज दिनोंक को समक्ष गवाहान लिखवा दिया तथा पढ़कर, सुन-समझकर अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये।

जनपद/शहर

दिनोंक:

गवाहान:

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
भवन स्वामी

1. नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
(संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति)
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

2. नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु उपकरण एवं फर्नीचर

प्रदेश में संचालित कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकरण के क्रय हेतु गत वर्षों में रु0 3.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि अवमुक्त करते हुये दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये थे, जिसके अनुसार निम्न उपकरणों को क्रय करते हुये प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी -

Sl.	Name of Equipment and Furniture	No. Of Equipments
1	B.P. Apparatus table model -2	2
2	Stethoscope-2	2
3	A Labour table with Matress	1
4	Suction Machine (Foot Operated)	1
5	Facility for Oxygen administration	1
6	Emergency Drug Tray	1
7	Delivery Kit including those for normal delivery and assisted deliveries. Privacy of women in labour should be ensured as a quality assurance issue.	1
8	Kidney Tray for keeping used instruments	2
9	Bowl for antiseptic solution	1
10	Cheatle's forceps	1
11	Tongue Depressor	1
12	Torch	1
13	Thermometre Clinical	2
14	Calorimeter	1
15	Glucometer	1
16	Needle Destroyer	1
17	Examination Table	2
18	Writing Tables with Table sheets	4
19	Plastic Chairs (for in-patients attendants)	10
20	Armless Chairs	4
21	Full Size Steel Almirah	1
22	Bench for waiting area	2
23	Wheel Chairs	1
24	Bed stread iron (for in-patients)	1
25	Stool	1
26	Fans	3
27	Tube Light	3

Sl.	Name of Equipment and Furniture	No. Of Equipments
28	Basin Stand	1
29	Buckets	5
30	Mugs	5
31	LPG Stove	1
32	LPG Cylinder	1
33	Matress for Beds	1
34	Bed sheets	4
35	Pillows with covers	2
36	Blankets	2
37	Towels	5
38	Curtains with rods	as per req.
39	Dustbins	5
40	Instruments Trolley	1
41	I.V.Stand	2
42	Fire Extinguisher (Type- ABC)	1
43	Bed pan sheet	1
44	Bed side screen	1
45	Emergency light	1
46	Invertor 1 KVA	1
47	Executive Chair for MO	1
48	Standard Surgical set (for minor procedures like episiotomies stitching)	1
49	Equipments for New Born Care and Neonatal Resuscitation Kit	1
50	IUCD Insertion Kit	1
51	Refrigerator	1
52	Adult Weighing Scale	1
53	Baby Weighing Scale	1
54	Height Measuring Scale	1

- वर्ष 2016-17 में 558 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रु0 1.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त करते हुये दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये थे। जिसके अनुसार निम्न उपकरणों को क्रय करते हुये प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी-

- ❖ 01 Pathological Microscope-Binocular with coaxial focusing control per UPHC
- ❖ 01 Vertical cylindrical type steam sterilizer pressure type (400x600 mm) per UPHC
- ❖ ANM Kit to organize UHNDs 01 Kit per ANM for all ANMs as per below-

ए.एन.एम. किट-

- ऊपरी भुजा के मध्य भाग को मापने का टेप (MUAC Tape)
- वजन मशीन (वयस्क एवं बच्चों के लिये अलग अलग)
- बी.पी. उपकरण
- स्टेथोस्कोप
- थर्मामीटर
- हीमोग्लोबिन स्ट्रिप डिस्पोजेबल लैन्सेट के साथ
- यूरिस्टिक्स
- मूत्र एकत्रित करने के लिये कप
- हब कटर
- अन्य यथाआवश्यक

उपकरण के क्रय की कार्यवाही राज्य स्तर से प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु औषधि एवं कन्ज्यूमेबल्स

वर्ष 2019-20 में औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल्स का क्रय राज्य स्तर पर गठित उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाय कारपोरेशन के द्वारा किया जायेगा। अतः इस मद में कोई धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु Operational Expenses

प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु FMR code – U.1.3.1 Operational Expenses में रु0 8000/- प्रति माह की दर से स्वीकृत प्रदान की गयी है। इस धनराशि का उपयोग बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि में किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन अनुसार नगरीय प्राथमिक केन्द्र हेतु अतिआवश्यक सामग्री के क्रय में किया जा सकता है।

593 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में से 147 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य बजट से संचालित है जिसके लिए यदि राज्य बजट से कन्टीजेंसी मद में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तो राज्य बजट या एन0यू0एच0एम0 बजट में से किसी एक बजट की धनराशि का उपयोग किया जाये जिससे किसी तरह की Duplicacy न हो।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर खाता संचालन

प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन0यू0एच0एम0 निधि का एक बैंक बचत खाता नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एन0यू0एच0एम0) के नाम से {UPHC “Name” NHM}, भारतीय स्टेट बैंक शाखा में खोला जाना है। उक्त बैंक खाते का संचालन जनपद के नोडल अधिकारी (एन0यू0एच0एम0), जो उप-मुख्य चिकित्साधिकारी से निम्न स्तर का न हो (प्रथम हस्ताक्षरी) एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी (नियमित/संविदा) नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (द्वितीय हस्ताक्षरी) के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी का पद

रिक्त होने की दशा में पास के स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभार देते हुए द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी नामित किया जा सकता है। इस सम्बंध में एस0पी0एम0यू0 के पत्र संख्या SPMU/NUHM/Financial/2018-19/43/3014-75 दिनांक: 22.06.2018 के माध्यम से निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खोले जाने वाले बैंक बचत खातों में एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि के अतिरिक्त एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों हेतु भी धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बंध में एस0पी0एम0यू0 के पत्र संख्या SPMU/NUHM/ Financial/2018-19/43/7219-75 दिनांक: 05.10.2018 के माध्यम से निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

रोगी कल्याण समिति

प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इस मद में 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। सरकारी भवन में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रु0 1.75 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं किराये के भवन में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रु0 1.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है, अतः प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाय। इस सम्बंध में महानिदेशालय, परिवार कल्याण के पत्र संख्या प0क0/सं0नि0न0/रो0क0स0/116/2017-18/3875-75 दिनांक: 10.08.2017 के माध्यम से निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

नोट – सरकारी भवनों में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को यदि किराये के भवन में संचालित किया जाता है तो किराये के भवन में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति हेतु स्वीकृत दर के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ए.एन.एम. हेतु अभिलेख

महानिदेशालय, परिवार कल्याण के पत्र संख्या प0क0-13/सं0नि0न0/नग0प्राथ0-सामु0/43टीसी-1/2017-18/1510-72 दिनांक 06 जुलाई, 2017 के माध्यम से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ए.एन.एम. के स्तर पर रखे जाने वाले रजिस्टर के फार्मेट के सम्बन्ध में प्रोटोटाइप के साथ दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं। प्रेषित दिशा-निर्देश एवं प्रोटोटाइप के अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ए.एन.एम. के स्तर पर रजिस्टर को उपलब्ध कराया जाय तथा उस पर प्रशिक्षण कराते हुये अपडेशन कराया जाय।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर उपयोग में लाये जाने वाले मुख्य रजिस्टर/प्रपत्र –

1. Central Registration Register
2. OPD Slip
3. OPD Register
4. Bed Head Ticket
5. Indoor Register
6. Labour Room Register
7. OT Register (Major/Minor Surgery)
8. Patient Discharge Card
9. Referral Register
10. Stock Register
11. Medicine Stock Register
12. Daily Medicine & consumables dispense register
13. Expiry Register (Drugs & consumables)
14. Pathology Register
15. RKS Register
16. Monthly Meeting Register
17. Daily Attendance & Movement Register
18. Any other register ...

ए.एन.एम. के स्तर पर उपयोग में लाये जाने वाले मुख्य रजिस्टर –

- Tracking of Eligible Couples (EC) and use of Contraceptives
- Tracking of Pregnant Women
- Tracking of Children
- RCH Register, etc....

उपरोक्त रजिस्टर हेतु व्यय नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के Operational Expenses of UPHC FMR Code – U.1.3.1 से किया जाय।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर से रिपोर्टिंग

प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर से मुख्यतः निम्न अभिलेखों का सत्यापन कराना तथा इन अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक माह संकलित रिपोर्ट तैयार करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु जनपद स्तर को प्रेषित किया जाय –

- महिला आरोग्य समिति के स्तर पर रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेखों का ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापन।
- ए.एन.एम. के द्वारा आशा के स्तर पर बनाये जाने वाले समस्त रिकार्ड का सत्यापन।
- ए.एन.एम. के द्वारा तैयार किये जाने वाले रजिस्टर का प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक माह सत्यापन।

- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 02 बार सत्यापन।
- डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट/एकाउन्टेंट कम डी0ई0ओ0 एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशा इन्सैंटिव, ए.एन.एम. मोबिलिटी सपोर्ट, एम.सी.टी.एस., एच.एम.आई.एस., विशेष आउटरीच कैम्प एवं अन्य प्रपत्र पर प्रत्येक माह रिपोर्ट संकलित एवं सत्यापन कर जनपद स्तरीय इकाई को प्रेषित किया जाना।

क्वालिटी एश्योरेंस

- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी को क्वालिटी एश्योरेंस के अन्तर्गत 02 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रभारी चिकित्साधिकारी के द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का Internal Assessment किया जाना है। प्रत्येक प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का Internal Assessment करते हुये पायी गयी कमियों हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की जानी है।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Fire Extinguisher (Type- ABC) लगा होना चाहिये एवं Fire Extinguisher की Refilling भी नियमित रूप से करायी जाय एवं तैनात कर्मियों का प्रशिक्षण भी कराया जाय।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शिकायत पेटिका उचित स्थान पर लगी हो तथा नियमानुसार प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जाय।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का Pollution Control Board से Registration कराया जाना है।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Hospital Waste Management हेतु व्यवस्था की जानी है।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत जनपदीय स्थानीय निकाय के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पोस्टर को प्रदर्शित किया जाना है, जिससे जनमानस में स्वच्छता के प्रति जागरुकता लायी जा सके।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देशों एवं प्रोटोटाइप के अनुसार प्रचार प्रसार सामग्री प्रदर्शित की जाय।
- प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Biometric Attendance की व्यवस्था की जानी है। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आधार बेस Biometric सिस्टम लगाये जाने के सम्बंध में इस कार्यालय के पत्र सख्यां SPMU/NUHM/2018-19/01/ 3006-75 दिनांक: 21.06.2018 के माध्यम से निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

- प्रभारी चिकित्साधिकारी के द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत आयोजित होने वाले यू.एच.एन.डी. दिवस पर प्रत्येक माह में कम से कम 02 यू.एच.एन.डी. सत्र का भ्रमण किया जायेगा तथा निर्धारित चेकलिस्ट पर रिपोर्ट जनपद स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में अपने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी कक्षों का भ्रमण एवं कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण किया जायेगा तथा पायी गयी कमियों का अपने स्तर एवं उच्च स्तर से निराकरण कराया जायेगा।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत होने वाले आउटरीच कैम्प का प्लान करते हुये जनपद स्तरीय इकाई को प्रेषित किया जायेगा एवं प्रत्येक कैम्प में प्रतिभाग करते हुये मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जायेगा।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक समीक्षा बैठक प्रत्येक माह की 25 तारीख को आयोजित की जाय। यदि 25 तारीख को टीकाकरण या अवकाश हो तो बैठक अगले कार्य दिवस में की जाय। जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों, ए०एन०एम० एवं आशाओं की बैठक की जायेगी। बैठक में नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. / अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर / डी०सी०ए०ए० / सी०सी०पी०एम० / एकाउन्टेंट कम डी०ई०ओ० के द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा। बैठक में समस्त स्टाफ के मानदेय, ए.एन.एम. मोबिलिटी, आशा इन्सेंटिव, कार्यालय व्यय के भुगतान एवं एच.एम.आई.एस., एम.सी.टी.एस. / आर.सी.एच. की फीडिंग, अपलोडिंग भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आदि चर्चा की जायेगी तथा रिकार्ड कीपिंग के सम्बन्ध में यथा आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाय जिससे समस्त अभिलेखों में आने वाली कमियों को दूर किया जा सके।
- प्रत्येक माह डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट / एकाउन्टेंट कम डी०ई०ओ० द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित होने वाली बैठकों में प्रतिभाग किया जाय तथा समस्त स्टाफ के मानदेय, ए.एन.एम. मोबिलिटी, आशा इन्सेंटिव, कार्यालय व्यय, एच.एम.आई.एस., एम.सी.टी.एस. की अपलोडिंग सुनिश्चित की जायेगी।

नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –

लखनऊ में संचालित 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृहों तथा वाराणसी शहर के 02 मैटरनिटी होम को नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अंटाइड ग्रांट की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

संयुक्त निदेशक (नगरीय)
परिवार कल्याण महानिदेशालय
उ०प्र०, लखनऊ

(डा० नीला गुप्ता)
संयुक्त निदेशक
परिवार कल्याण, उ०प्र०
लखनऊ